

क्र.सं.	जांच बिन्दु	जांच स्थिति
1.	अन्तिम भुगतान का आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किया गया है अर्थात :-	
	सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी का प्रकरण प्रपत्र-ए सेवानिवृत्त कर्मचारी का प्रकरण प्रपत्र-बी मृतक कर्मचारी या अधिकारी का प्रकरण प्रपत्र-सी	
2.	अभिदाता का नाम, कारपोरेशन द्वारा आवंटित सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या, महालेखाकार, उ.प्र. द्वारा आवंटित सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या शुद्ध है।	
3.	ई.पी.एफ. अन्तरण का प्रपत्र 'के', सामान्य भविष्य निधि की अन्तिम निर्गमित लेखा पर्ची तथा महालेखाकार, उ.प्र. से प्राप्त अन्तिम लेखा पर्ची की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।	
4.	सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र अथवा मृत्यु की तिथि शुद्ध है? त्याग-पत्र अथवा, मृत्यु की स्थिति में क्रमशः त्याग-पत्र स्वीकृति कार्यालय, ज्ञापन या सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मृत्यु प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न है।	
5.	मृतक के प्रकरण में यदि दावेदार नामित व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जोन के उप मुख्य लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।	
6.	अन्तिम अभिदान तक अपेक्षित जमा एवं नाम अनुसूचियों की प्रतियाँ मासिक लेखा की सम राशि के लिए सम्बन्धित जोन के उप मुख्य लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाकर संलग्न है।	
7.	अभिदाता की सेवा अवधि में, अवधि के अवरोहण क्रम में तैनाती इकाईयों की सूची संलग्न है।	
8.	अभिदाता द्वारा सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/मृत्यु की तिथि से पूर्व पाँच वर्ष की अवधि में आहरित अन्तिम निष्कासन एवं अस्थायी अग्रिम की सूची संलग्न है।	
9.	दावेदार का वयक्तिगत पहचान का चिन्ह तथा हस्ताक्षर या अंगूठा निशान प्रमाणित करवाकर संलग्न है।	
10.	आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त संलग्न प्रपत्र आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/सत्यापित है।	
11.	अभिदाता की सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/मृत्यु के उपरान्त सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम निष्कासन या अस्थायी अग्रिम का आहरण नहीं किया गया है। यदि किया गया है तो उसका विवरण कारण सहित संलग्न है।	
12.	यदि अभिदाता को 90 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है तो ऐसी दशा में 90 प्रतिशत भुगतान आदेश की प्रति, (गणना प्रपत्र) (भविष्य निधि पासबुक आदि 10 प्रतिशत अवशेष भुगतान हेतु संलग्न है)	